न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 63/2020
किशन सिंह पुत्र रामकुमार सिंह, जाति राजपूत निवासी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।
2. रूधाराम पुत्र स्व. श्री मातुराम, जाति रैगर, निवासी वार्ड नम्बर 14, शिशु मन्दिर स्कूल के पीछे, बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
3. चिरंजीलाल पुत्र श्री झुथाराम, जाति रैगर, निवासी वार्ड नम्बर 14, शिशु मन्दिर स्कूल के पीछे, बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
4. गिरधारीलाल पुत्र श्री झुथाराम, जाति रैगर, निवासी वार्ड नम्बर 14, शिशु मन्दिर स्कूल के पीछे, बड़ागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी
उनवानी सरकार बनाम किशन सिंह अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 61/2020 निर्णय दिनांक 02.11.2020

उपस्थितिः–

1 .श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री सुलतान बाकोलिया, एडवोकेट ––––––रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.01.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.11.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम किशन सिंह, मु0नं0 61/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। मौजुदा प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। जिस प्रकरण में जमीन की किस्म व सदभाविक कब्जे का प्रश्न हो ऐसे प्रकरण में समरी कार्यवाही के द्वारा किसी व्यक्ति को बदखल नहीं किया जा सकता। ऐसे [illegible] बाद रेगुलर कार्यवाही के ही किसी व्यक्ति को बेदखल किया जा [illegible] पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट पेश की है। आलौच्य नि[illegible] नहीं किया [illegible]च्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:00:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलांट की जवाब देही को नजर अन्दाज किया है। पटवारी हल्का भू माफियाओं से मिला हुआ है। अपीलांट ख0नं0 835 पर अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट ख0नं0 834 की जमीन पर बनाकर आबाद है। जो सन 1959 में अपीलांट के पिता रामकुमार सिंह ने जरिये विक्रय पत्र बालमुकन्द से क्रय की थी। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कीजाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वार पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 3.11.2020 निरस्त किय जाने का निवेदन किया। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– मौजुदा प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। जिस प्रकरण में जमीन की किस्म व सदभाविक कब्जे का प्रश्न हो ऐसे प्रकरण में समरी कार्यवाही के द्वारा किसी व्यक्ति को बदखल नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रकरण में बाद रेगुलर कार्यवाही के ही किसी व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट पेश की है। आलौच्य निर्णय में अतिक्रमण का आधार दर्ज नहीं किया। आलौच्य निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलांट की जवाब देही को नजर अन्दाज किया है। पटवारी हल्का भू माफियाओं से मिला हुआ है। अपीलांट ख0नं0 835 पर अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट ख0नं0 834 की जमीन पर बनाकर आबाद है। जो सन 1959 में अपीलांट के पिता रामकुमार सिंह ने जरिये विक्रय पत्र बालमुकन्द से कय की थी। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वार पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 3.11.2020 निरस्त किय जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागोड़जी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो[illegible] कि अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रा[illegible] के घर एवं खेत का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:00:27 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता बंद हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे रास्ते की भूमि पर उनका अतिक्रमण वैद्य साबित होता हो। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज फरमायी जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में हल्का पटवारी बड़ागांव की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 835 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै0 मु0 रास्ता के 63 वर्ग मीटर रकबे पर ईंटो का निर्माण कार्य एवं डंडा आदि लगाकर अतिक्रमण करना बताया है। इस प्रकार विवादित भूमि रास्ते की भूमि होने से अपीलांट के पुराने कब्जे के आधार पर भी नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा अपीलांट को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2020 उनवानी सरकार बनाम किशन सिंह मु0नं0 61/2020 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:00:27 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू